



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 के क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act. No. 3 of 1997)



आजादी का
अमृत महोत्सव

सुशील बी. पखीड़े
Sushil B. Pakhide
सहायक कुलसचिव (वित्त)
Assistant Registrar (Finance)

टेलीफैक्स/Telefax : +91 7152 230906
ईमेल/Email: fo.mgahv@gmail.com


क्र. 002/14(1)/Imprest/2023-17/ 245
दिनांक : 28/01/2023

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मियों/अधिकारियों एवं शिक्षकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति को देखते हुए निम्नलिखित विवरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें-

क्र.	विवरण	समयसीमा
1	समस्त प्रकार के अग्रिमों का समायोजन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वित्त विभाग में प्रस्तुत किया जाना है (यथा- एलटीसी, टीए, संगोष्ठी, कार्यशाला, बैठक व अन्य मदों में जारी अग्रिम)	दिनांक 31.01.2023 तक
2	समस्त प्रकार के दावों/बिलों, जिसकी प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जानी है (यथा- टीए/एलटीसी, टेलीफोन प्रतिपूर्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संतान शिक्षा भत्ता 2021-22 व अन्य बिलों)	दिनांक 28.02.2023 तक

अतः सभी संबंधित से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें।


(सुशील बी. पखीड़े)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय (सूचनार्थ एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु)
4. सहायक कुलसचिव (भंडार एवं क्रय विभाग)
5. सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)
6. सभी विभाग प्रमुख/प्रभारी/केंद्र निदेशक/संकायाध्यक्ष (विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से)